

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

11/अ0प्र0-11-11/2025 4322 (क) पटना, दिनांक- 2.11.25

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:-

सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-3580 दिनांक-29.03.2025, पत्रांक-3316 दिनांक-21.03.2025, पत्रांक-2856 दिनांक-10.03.2025 एवं पत्रांक-3220 दिनांक-19.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सात निश्चय एवं सात निश्चय-02 योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भरकर सभी अधीक्षण अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया है। विदित हो कि उक्त उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3301 दिनांक-25.02.2025 द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में वर्ष 2005 से अबतक राज्य सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में नियमित नियुक्ति सहित संविदा एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से नियोजित कर्मियों से संबंधित संख्यात्मक आकड़ों को एकत्रित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/प्रमंडलों में पदस्थापित समूह 'घ' के कर्मियों से संबंधित सूचना उक्त विहित प्रपत्र के कंडिका-05 में सरकारी रोजगार सृजन प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि (वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07.....2024-25) दिनांक-01.04.2005 से अबतक का आकड़ा अद्यतन करते हुए विभाग को 02 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

S Kumar

17/11/25
(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव
पटना, दिनांक- 2.11.25

ज्ञापांक:-11/अ0प्र0-11-11/2025 4322

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S Kumar

17/11/25
सरकार के अवर सचिव

1

दिनांक-07.02.2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 की योजनाओं के संबंध में पाँच विभागों (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग - श्री रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव (मो0 नं0-9473191473)।
श्री सदन कुमार झा, अवर सचिव (मो0 नं0-8271781753)।
2. पथ निर्माण विभाग - श्री राजीव रंजन पाण्डेय, उप सचिव (मो0 नं0-9931839166)।
3. ग्रामीण कार्य विभाग - श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव (मो0 नं0-9801598487)।
4. अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग - श्री संजय कुमार, उप सचिव, (मो0 नं0-8507464233)।
5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - अनुपस्थित
6. भवन निर्माण विभाग - अनुपस्थित

सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवेदित आंकड़ों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सात निश्चय की योजनाओं के संदर्भ में चिन्हित विभागों (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के नोडल पदाधिकारियों से संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विधि से प्रतिवेदित आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की गयी।

2. बैठक में विभिन्न प्रपत्रों एवं प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन के प्रत्येक चरणों की विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ-ही निदेशित किया गया कि प्रत्येक विभाग अपने मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों (आयोग/निदेशालय/जिलास्तर के कार्यालयों/प्रखंड स्तर के कार्यालयों आदि) को चिन्हित कर पदवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की त्रुटिरहित सूचना पदवार/कार्यालयवार निम्न प्रपत्र में संधारित कर ऑनलाइन प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करे :-

अनुलग्नक संख्या-03 (क) (नियमित पदों के संदर्भ में)												
क्र0 सं0	विभाग/संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल							रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति (सीधी भर्ती/प्रोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने संबंधी विवरणी)
				नियमित			नियमित स्वीकृत बल के विरुद्ध संविदागत नियुक्ति			कुल कार्यरत महिलाओं		
				पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	(नियमित+स्वीकृत) का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अनुलग्नक संख्या-03 (ख) (संविदागत पदों के संदर्भ में)								
क्र0 सं0	विभाग/संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय का नाम	पदनाम	संविदागत पद के विरुद्ध स्वीकृत बल	संविदागत पद के विरुद्ध कार्यरत बल			संविदागत पद के विरुद्ध रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति (सीधी भर्ती/प्रोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने संबंधी विवरणी)
				पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. कंडिका-2 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवा प्रक्रियाधीन होने की अद्यतन स्थिति, यथा-रोस्टर क्लियरेंस/अध्याचना प्रेषित/ विज्ञापन प्रकाशन/परीक्षा प्रारंभ/अंतिम रूप से अनुशंसा भेजने आदि की भी सूचना उपर्युक्त उपलब्ध कराये गये प्रपत्र की अभ्युक्ति में दर्ज किया जाय।

4. "आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार" के संबंध में निदेशित किया गया कि निम्नवत् प्रपत्र में आंकड़ों का संधारण किया जाय :-

"आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार" बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण									
दिनांक-20.01.2016 से अब तक									
क्र० सं०	विभाग का नाम	पदनाम	कुल अध्याधित पदों की संख्या (महिला+पुरुष)	महिलाओं के लिए आरक्षित पद	कुल अनुशंसित पदों की संख्या (महिला+पुरुष)	महिलाओं के लिये अनुशंसित पदों की संख्या	नियुक्ति की विवरणी		अभ्युक्ति
							महिलाओं की संख्या	प्रतिशत (8/6)×100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. इसी प्रकार वर्ष 2005 से अब तक राज्य सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में नियमित नियुक्ति सहित संविदा एवं बाह्यस्त्रोत के माध्यम से नियोजित कर्मियों से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उदाहरणस्वरूप आलोच्य अवधि वर्ष 2005 से 2006 के आंकड़े निम्नवत् प्रपत्र में संधारित किये जाने का निदेश दिया गया :-

सरकारी क्षेत्र रोजगार सृजन प्रतिवेदन															
क्र.सं. 0	विभाग का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	पदनाम	आलोच्य अवधि	नियमित नियुक्त कर्मियों की संख्या			संविदा नियोजित कर्मियों की संख्या			बाह्यस्त्रोत (outsourcing) से नियोजित कर्मियों की संख्या			सकल कुल (8+11+14)	अभ्युक्ति
					पुरुष I	महिल I	कुल	पुरुष I	महिल I	कुल	पुरुष I	महिल I	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				01.04.2005 से 31.03.2006											
2															
कुल (A)															
सकल कुल (A+B+.....+X+Y)															

6. इसके अतिरिक्त "सशक्त महिला, सक्षम महिला" के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में निम्नवत् प्रपत्र में सूचना संधारित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान (यथा अनु० पदा०, प्रखण्ड विकास पदा०, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि) के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं उचित भागीदारी से संबंधित विवरणी								
क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रधान का पदनाम	विभाग में पदों की कुल संख्या	उक्त पद पर कार्यरत पदाधिकारियों की कुल संख्या	उक्त पद पर कार्यरत महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या	मानक (35%) के अनुरूप महिला पदाधिकारियों के पदस्थापित नहीं होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बिहार सरकार के क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी				
क्र० सं०	विभाग का नाम	क्षेत्रीय प्रशासन में कुल कार्यालयों की संख्या	कितने कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी मानक के अनुरूप है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
7.	विदित हो कि वर्तमान में विभाग में			

[illegible]

ह०/-
दिनांक-21.02.2025
(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक-23/सा0नि0यो0-11-01/2024, सा0प्र0 3301 /दिनांक 25/02/25

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी (सात निश्चय एवं सात निश्चय-2) पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लोक स्वार्थ अभियंत्रण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-01-05/2022 2400

/पटना, दिनांक: 28.2.25

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, 5, 6, 8, 11 एवं 12/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्रों में वांछित सूचना दो दिन में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-संशोधित।

(कुमार अमिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

सुजी पुष्पांजली
प्रजा।

28.2.25